न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 01/2021 (2021/1)

अपीलार्थीगण

श्रीमती सुआदेवी पत्नी स्व0 जेठाराम के कायम मुकाम

1/1. बींजाराम पुत्र स्व0 जेठाराम

1/2. जमना पुत्री स्व0 जेठाराम

1/3. पानकी पुत्री स्व0 जेठाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण – अराबा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. चेतनराम पुत्र केवलराम, जाति मेघवाल, निवासी – घेवडा तहसील ओसिया, जिला जोधपुर। हाल निवासी– जालोरी गेट के बाहर, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 01.11.2008 ग्राम चौपासनी जागीर, जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति

1. अभिभाषक श्री दिवाकर शर्मा (अपीलार्थी संख्या 1/1 से 1/3)।
2. अभिभाषक श्री भवानीसिंह (प्रत्यर्थी संख्या 2)

–: आदेश :– दिनांक :– 24.02.2021

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 01.11.2008 ग्राम चौपासनी जागीर जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 श्रीमती सुआ देवी पत्नी स्व0 जेठाराम जाति मेघवाल, निवासी अराबा उडा का बास, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि ग्राम चौपासनी जागीर खसरा नं0 75/5 रकबा 17 बिस्वा एवं 75/7 रकबा 19 बिस्वा कुल रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा जमीन खातेदार सुनिल पुत्र किशनलाल जाति हरिजन से जरिये [illegible] विक्रय विलेख खरीद की गई। बेचानकर्ता सुनिल के द्वारा उक्त भूमि [illegible] और बेचाननामा [illegible] पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested

केवलराम के पक्ष में निष्पादित किया गया। उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 01.11.2008 को चेतनराम पुत्र केवलराम के नाम तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 17.02.2021 को सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रखी गई।

दौराने बहस दिनांक 16.02.2021 अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अपील में प्रत्यर्थी संख्या 02 चेतनराम भी आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार प्रत्यर्थी बनाया जाना सहवन से रह गया था, जिस पर अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर चेतनराम पुत्र केवलराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घेवडा तहसील ओसिया जिला जोधपुर को बतौर प्रत्यर्थी संख्या 02 के रूप में संयोजित किया गया। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील वादशीर्षक को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 02 को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता भवानी सिंह राठौड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिये दिनांक 10.09.2020 को सम्बन्धित पटवार हल्का से सम्पर्क किया था तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकलें दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त हुई, तब उक्त नामान्तरकरण जानकारी प्रथम बार हुई तथा प्रथम बार जानकारी से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तकरण संख्या 1151 एकतरफा पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थीगण को सुना नही गया है इसलिये मात्र देरी से अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलार्थीगण के साथ अन्याय कारित नही होना चाहिये।

अपीलार्थीगण अभिभाषक ने बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत् सुनिल पुत्र किशनलाल, जाति हरि[illegible] द्वारा एक बेचाननामा अपीलार्थीगण की माता श्रीमती सुआदे[illegible] निष्पादित किया था जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested

बेचाननामा उपपंजीयक लूणी जिला जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 20.10.2008 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 81, पृष्ठ संख्या 62, क्रम संख्या 2008002143 पर पंजीबद्धशुदा है। बेचानकर्ता सुनिल पुत्र किशनलाल के द्वारा अपीलार्थीगण की माता को विवादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख से दिनांक 20.10.2008 को किये जाने के पश्चात् उसी विवादग्रस्त भूमि का पुनः बेचान दिनांक 24.10.2008 को चेतनराम पुत्र केवलराम को कर दिया गया जो बेचाननामा उपपंजीयक द्वितीय जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 24.10.2008 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 788, पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2008024327 पर पंजीबद्धशुदा किया गया, जिसकी जानकारी होते ही स्व0 सुआ देवी के द्वारा एक वाद वास्ते निरस्त करने बेचाननामा दिनांक 24.10.2008 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02 जोधपुर के द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 01/2011 में पक्षकारों को सुनते हुए न्यायालय श्रीमान् ने अपने आदेश दिनांक 16.08.2011 के जरिये चेतनराम पुत्र केवलराम के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को निरस्त एवं शुन्य घोषित कर दिया। उक्त आदेश के आधार पर उपपंजीयक कार्यालय द्वितीय जोधपुर के कार्यालय में पंजीबद्वसुदा विक्रय विलेख दिनांक 24.10.2008 को निरस्त किये जाने का नोट अंकित कर दिया। इस प्रकार निरस्त एवं शून्य घोषित बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1151 जो तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया था, को निरस्त किया जाकर बेचाननामा जो अपीलार्थीगण की माता स्व0 सुआ देवी के नाम से पंजीबद्वसुदा है, के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर तद्नुसार अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.12.2020 को हुई, जब अपीलार्थीगण ने फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिये दिनांक 10.09.2020 को सम्बन्धित पटवार हल्का से सम्पर्क किया तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकलें दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट की ओर से मियाद बिन्दु बाबत् कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया। अतः न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय। इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की माता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested

जोधपुर के द्वारा पारित वाद बाबत् निरस्त करने विक्रय विलेख एवं शाश्वत व्यादेश जिसके प्रकरण संख्या 01/2011 बअनवान श्रीमती सुआ देवी बनाम सुनिल व अन्य के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2011 के अनुसार विक्रय विलेख दिनांक 24.10.2008 को सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। निर्णय एव डिक्री दिनांक 16.08.2011 से स्पष्ट है कि जो बेचाननामा सुआ देवी के पक्ष में मूल खातेदार सुनिल पुत्र किशनलाल के द्वारा निष्पादित करवाया गया था उक्त बेचाननामा दिनांक 20.10.2008 को निष्पादित है तथा पश्चात्वर्ती बेचाननामा जो कि चेतनराम पुत्र केवलराम के पक्ष में निष्पादित करवाया गया वह बेचाननामा दिनांक 24.10.2008 को निष्पादित है। उक्त पश्चात्वर्ती बेचाननामा को सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 01.11.2008 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 01.11.2008 ग्राम चौपासनी जागीर जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व0 सुआ देवी के पक्ष में निष्पादित मूल पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 20.10.2008 व उनके विधिक वारिसान् की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested